प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 02105/2020-2021 | दिनांक 12/10/2020

# सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

## (अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन )

नवीनीकरण
संख्या:R/HAR/06898/2020-2021 | पत्रावली संख्या:I-176252 | दिनांक:2015-2016

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **BALAK RAM SHIKSHAN SANSTHAN, MEHNDI KHEDA PURVAYAN BILGRAM HARDOI, हरदोई , 241303** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 89-2015-2016 दिनांक-15/04/2015 को दिनांक-15/04/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1350 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

**Digitally Signed By**
**(VINAY KUMAR SRIVASTAVA)**
**572E833120B2128D9DAA66F36AED95A3DF6233DE**
**Date: 12/10/2020 11:53:50 AM, Location: Lucknow.**

जारी करने का दिनांक-12/10/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश |

अर्चना वर्मा
प्रबन्धक
बालक राम शिक्षण संस्थान
ग्राम–मेन्हदी खेड़ा, मल्लावाँ
जिला–हरदोई

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AE 578523

बालकराम शिक्षा संस्थान
176257
हरदोई
परीक्षा वर्ष 2020-21

03.2021 अर्चना वर्मा

प्रबन्धक
बालक राम शिक्षण संस्थान
ग्राम–मेन्हदी खेड़ा, मल्लावाँ
जिला–हरदोई

# स्मृति–पत्र

१. संस्था का नाम : बालक राम शिक्षण संस्थान।

२. संस्था का पूरा पता : ग्राम मेंहदी खेड़ा, पुरवायाँ बिलग्राम, जिला– हरदोई।

३. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

४. संस्था के उद्देश्य :

१. जनहित में लोगों का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, शारीरिक, शैक्षिक व बौद्धिक विकास करना।

२. बालक/ बालिकाओ के शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों/ शिक्षण केन्द्रों/ संस्थानों/विद्यालयों/महाविद्यालय/ आवासीय विद्यालयों की निःशुल्क स्थापना करना जिसमे प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था करना शासन की नीति के अनुसार अनुमोदित पाठयक्रमानुसार अध्ययन अध्यापन की श्रेष्ठतम व्यवस्था करना एवं प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवम् रोजगार के अवसर बढ़ाने हतु व्यवसायिक एवम् तकनीकी शिक्षा एंव निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करना।

३. बालक–बालिकाओं की शिक्षक प्रशिक्षण एवं रोजगारपूरक प्रोफेशनल, तकनीकी हाबी, पाठ्यक्रमों पर आधारित जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, मैनेजमेन्ट, पर्यावरण, कम्प्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी, फैशन टेक्नालोजी, इकोलाजी, टेक्सटाइल, डेयरी टेक्नालाजी, बायोटेक्नोलाजी समस्त लाईफ साइंस इत्यादि के क्षेत्र में निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, रोजगार के अवसर तलाशना व नियोजन में मदद करना तथा केन्द्र, विद्यालय व इंस्टीट्यूट की स्थापना व संचालन शासन के नियमानुसार करना।

४. बालक/बालिकाओं/बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना तथा उससे सम्बन्धित शैक्षिक विकास हेतु कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में सहभागिता निभाना।

५. समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम विचार गोष्ठी सेमिनार, महिला सम्मेलन, बाल सम्मेलन, जनहित सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर ज्ञानवर्धक मनोरंजन कार्यक्रमों आदि का आयोजन करना।

६. पुस्तकालय एवं वाचनालय, छात्रावास , हॉस्टल की स्थापना करना तथा विकास का मार्ग प्रशस्त करना।

७. सभी जातियों एंव समुदाय और अनुसूचित जाति पिछड़ावर्ग अल्पसंख्यक, गरीब, महिलाओं एंव बालक–बालिकाओं तथा सामान्य वर्ग के लिए सिलाई, कढाई, बुनाई,ब्यूटीपार्लर,फैशनडिजाइनिंग, रेडीमेंड ग़रमेन्टस, हथकरघा, टाटपट्टी कालीन, बुनाई फाइवर ग्लास, हस्तशिल्प कला, जूट उद्योग, दस्तकारी बढईगीरी माचिस साबुन, अगरबत्ती, मोमबत्ती फलसंरक्षण पापड़ चिप्स बेकरी,कुकरी कुम्हारी पशुपालन मिल्क एण्ड डेरी प्रोडक्टस आयल, सीड, मुर्गीपालन भेडपालन मत्स्य पालन इत्यादि ग्रामोद्योग का प्रशिक्षण दिलाकर उसमें स्वावलम्बन की भावना जांगृत करना एंव अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संचालित करना।

अर्चना वर्मा
प्रबन्धक
बालक राम शिक्षण संस्थान
ग्राम–मेन्हदी खेड़ा, मल्लावाँ
जिला–हरदोई

८. बालक /बालिकाओं के लिए सभी प्रकार की तकनीकी शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना शासन के मानकों के अनुसार।

९. केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित एंव संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार करना।

बालकराम वर्मा अर्चना वर्मा अमरीश वर्मा
रामकरन वर्मा निर्दोष कुमार रानेन्द्र कुमार सिंह

सत्य प्रतिलिपि
सहायक
रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स

# बालक राम शिक्षण संस्थान

पता–ग्राम मेंहदी खेडा बिलग्राम जिला–हरदोई
के प्रबन्धकारिणी समिति की सूची ::—2020–21

| क्र0 | नाम/पिता/पति का नाम | पता | पद | व्यवसाय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री सूरज पटेल पुत्र श्री सुखवासी लाल वर्मा | 571/670 हिन्दनगर, कानपुर रोड,नियर आर0पी0एस0इण्टर कालेज एल0 डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड लखनऊ | अध्यक्ष | समाजसेवा |
| 2 | श्री सुखवासी लाल वर्मा पुत्र स्व0श्री बालक राम वर्मा | 571/670 हिन्द कानपुर रोड,नियर आर0 पी0एस0इण्टर कालेज एल0 डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड लखनऊ | उपाध्यक्ष | समाजसेवा |
| 3 | अर्चना वर्मा पुत्री श्री सुरेश चन्द्र वर्मा | 571/670 हिन्द कानपुर रोड,नियर आर0 पी0एस0इण्टर कालेज एल0 डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड लखनऊ | प्रबन्धक/ सचिव | गृहणी |
| 4 | श्री अमरीश वर्मा पुत्र स्व0रामदेव सिंह | मेंहदी खेडा पुरबायॉ बिलग्राम जिला– हरदोई | कोषाध्यक्ष | समाजसेवा |
| 5 | श्री रामकरन सिंह पुत्र श्री ऋषिनाथ | बीकापुर बिलग्राम हरदोई | सदस्स | समाजसेवा |
| 6 | श्री निर्दोष कुमार पुत्र श्री हिमांचल प्रसाद | अनंत बिहार पारा नई बस्ती,लखनऊ | सदस्य | चिकित्सक |
| 7 | श्री राजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्व0सिद्वनाथ सिंह | सेक्टर सी.पवनपुरी आलमबाग लखनऊ | सदस्य | एडवोकेट |

(सत्य प्रतिलिपि)

हस्ताक्षर::
अर्चना वर्मा

अमरीश वर्मा

अर्चना वर्मा
प्रबन्धक
बालक राम शिक्षण संस्थान
ग्राम–मेन्हदी खेड़ा, मल्लावाँ
जिला–हरदोई

सत्य प्रतिलिपि

03 2021

# नियमावली

| | | |
|---|---|---|
| १. | संस्था का नाम : | बालक राम शिक्षण संस्थान। |
| २. | संस्था का पूरा पता: | ग्राम मेंहदी खेड़ा, पुरवायॉ बिलग्राम, जिला– हरदोई। |
| ३. | संस्था का कार्यक्षेत्र : | सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश । |
| ४. | संस्था की सदस्यता एवं वर्ग | |
| | आजीवन सदस्य | : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 51000/– रू. एक बार में या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रूप में निःस्वार्थ भाव से देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होगे श्री बालक राम वर्मा एंव श्रीमती अर्चना वर्मा और सुखवासी लाल वर्मा संस्था की स्थापना के समय से ही आजीवन सदस्य है अन्य किसी भी व्यक्ति को संस्था की आजीवन सदस्यता प्रदान नही की जा सकेगी यदि कोई संस्था के नियमों एंव उद्देश्यों की पूर्ति में सक्रिय सहयोग प्रदान करता है तो इन तीनों आजीवन सदस्यों को ही अधिकार होगा कि वो विचार कर अन्य किसी भी व्यक्ति को आजीवन सदस्यता की श्रेणी में ले या न ले। |
| | सामान्य सदस्य | : जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखतें होंगे या संस्था के विकास हेतु 501/– रू. वार्षिक सदस्यता शुल्क चन्दा स्वरूप निःस्वार्थ भाव से देंगे वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे । |
| ५. | सदस्यता की समाप्ति | : १. मृत्यु हो जाने पर ।<br>२. पागल या दिवालिया हो जाने पर ।<br>३. संस्था के विपरीत हानिकारक कार्य करने पर ।<br>४. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित होने पर<br>५. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर ।<br>६. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर ।<br>७. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दंण्डित होने पर |
| ६. | संस्था के अंग | : अ.साधारण सभा<br>ब. प्रबन्धकारिणी समिति |
| ७. | साधारण सभा गठन | : साधारण सभा का गठन आजीवन एवं सामान्य सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा । |
| | बैठकें | : साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है |
| | सूचना अवधि | : साधरण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी |
| | गणपूर्ति | : साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी । |

अर्चना वर्मा
प्रबन्धक
बालक राम शिक्षण संस्थान
ग्राम–मेन्हदी खेड़ा, मल्लावाँ
जिला–हरदोई

अर्चना वर्मा
बालक राम वर्मा
अमरीश वर्मा
रामकलावती
राजेन्द्र कुमार सिंह
निर्दोष कुमार

सत्य प्रतिलिपि
1

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों, के बहुमत से तय किया जायेगा ।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :

१. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना ।
२. संस्था का वार्षिक बजट पास करना ।
३. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना ।
४. संस्था के नियमों एवं विनियमों में 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन करना ।

८. प्रबन्धकारिणी समिति :

गठन : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष–एक, उपाध्यक्ष–एक प्रबन्धक/सचिव–एक, कोषाध्यक्ष–एक एंव सदस्य–7 होंगे इस प्रकार कुल संख्या मिलाकर 11 होगी जो आवश्यकतानुसार बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है ।

बैठक : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।

सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप/संचार माध्यम से सूचना भी दी जायेगी।

गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी ।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य :

१. संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना।
२. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
३. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना ।
४. समाज कल्याण विभाग उ०प्र० तथा केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, भारत सरकार खेलकूद मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय,विकलांग निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार, अवार्ड, डी०आर०डी०ए०, एच०आर०डी०ए०, नाबार्ड,आक्सकेम इण्डिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आर०सी०एच०, स्वास्थ्य मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, यूनीसेफ, सिडबी पर्यावरण मन्त्रालय,स्वास्थ्य विभाग/स्वास्थ्य मंत्रालय,विकलांग विभाग/महिला कल्याण निगम, महिला कलयाण बोर्ड, राजीव

अर्चना वर्मा
प्रबन्धक
बालक राम शिक्षण संस्थान
ग्राम–मेन्हदी खेड़ा, मल्लावाँ
जिला–हरदोई

बालकराम वर्मा अर्चना वर्मा रामरूप वर्मा
अमरीश वर्मा निर्दोष कुमार
राजेन्द्र कुमार सिंह

सत्य प्रतिलिपि

गाँधी फाउन्डेशन उ०प्र०, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, हथकरघा मंत्रालय, सांस्कृतिक विभाग, शिक्षा विभाग,पशु मंत्रालय, विश्व बैक,यू०पी०डी०ए० एस० पी०,डवाकरा,सैफ इण्डिया, महिला कल्याण बोर्ड/आयोग/कमीशन, सूडा, डूडा,बैकों वित्तीय निगमों, राष्ट्रीय एंव वित्तीय संस्थाओं एंव खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग/कमीशन/ दानशील व्यक्तियों,विधायक निधि,सांसद निधि, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, अल्पसख्यक विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड, आयोग, निदेशालय, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, समाज सेवी संस्थाओं से दान अनुदान व चन्दा, ऋण प्राप्त करके उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना

५. उपसमितियों का गठन करना तथा उपसमिति के लिए कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्त करना नियमानुसार प्रबंधसमितियों का अनुमोदन करना।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल होगा।

६. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

अध्यक्ष
सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
बैठकों के लिये दिनांकों का अनुमोदन करना परिवर्तन करना व बैठको को स्थगित करना।
बैठकों के लिए तिथि का निर्धारण करना।

उपाध्यक्ष
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सौपे गए कार्य समिति के हित में करना।

प्रबन्धक/सचिव
समिति की चल अचल सम्पतित को क्रय एंव विक्रय करना तथा हस्तांतरित करना
सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना एंव अन्तिम निर्णय देना।
सदस्यता फर्म जारी करना तथा सदस्यता प्राप्त हेतु लिखित स्वीकृत प्रदान करने के उपरान्त ही सदस्यता शुल्क जमा किया जाएगा जिसमें प्रबन्धकारिणी समिति का 2/3 बहुमत भी आवश्यक होगा।
संस्था के हित में किसी संस्थान व्यक्ति अथवा समूह के साथ आवश्यक समझौता एंव अनुबन्ध करना।
सदस्यों को सदस्यता स्वीकृति के लिए अनुमति प्रदान करना।
समिति की चल अचल सम्पत्ति की देख भाल एंव स्थानान्तरण खरीद करना बैक में बन्धक रखकर ऋण प्राप्त करना एंव संस्था के हित एंव उदेदश्यों की पूर्ति में लगाना।
संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।
उपसमिति एंव शिक्षण संस्थानों की स्थापना से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही करना।
समिति पर नियंत्रण रखना तथा सदस्यता हेतु आवेदन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना व करवाना।

अर्चना वर्मा
प्रबन्धक
बालक राम शिक्षण संस्थान
ग्राम–मेन्हदी खेड़ा, मल्लावाँ
जिला–हरदोई

बालक राम वर्मा    अर्चना वर्मा    Apurva    अमरीश वर्मा

सत्य प्रतिलिपि
रामकमल वर्मा    राजेन्द्र कुमार सिंह    नितेश कुमार
वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

समिति की चल अचल सम्पतित को क्रय एंव विक्रय करना तथ हस्तांतरित करना।
चेक, डिमान्ड ड्राफ्टों, बिल, बाउचरों, आहरण पत्रों, ऋण पत्रों, इत्यादि पर हस्ताक्षर करना ।
संस्था मे वर्तनिक कर्मचारियो की नियुक्ति एंव निष्कासन का कार्य करना।
संस्था के समस्त महत्वपूर्ण निर्णयों लेने/निर्णय देने का अधिकार प्रबन्धक/सचिव का होगा ।

कोषाध्यक्ष

समिति के समस्त लेखो विलेखों को तैयार करना।
आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना।
प्रबन्धक/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
सदस्यो से सदस्यता शुल्क प्राप्त करना सदस्यता रसीद प्रदान करना।
समिति के समस्त व्ययों पर नियंत्रण रखना तथा जॉच आख्या तैयार करना।

१०. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

: संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परितर्वन या परिवर्धन सम्बन्धी कार्यवाही साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा।

११. संस्था का कोष : संस्था का समस्त कोष किसी भी स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक/शयडूल्ड बैंक/प्राइवेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक/अन्य किसी भी बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन उपाध्यक्ष एवं प्रबन्धक/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा ।

१२. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण आडिट) :

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा ।

१३. संस्था के द्वारा या उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही से संचालन का उतरदायित्वः

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व प्रबन्धक/सचिव पर होगा या उनके द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति पर क्षेत्र क्षेत्रीय न्यायालय होगा।

१४. संस्था के अभिलेख : सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, एजेण्डा रजिस्टर कैश बुक, आदि ।

१५. विघटन : संस्था का विघटन तथा विघटित सम्पत्ति की कार्यवाही सोसाइटीज् रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

दिनांक 11/4/2015

(सत्य प्रतिलिपि)

::हस्ताक्षर::

बालक राम वर्मा अर्चना वर्मा
प्रबन्धक
बालक राम शिक्षण संस्था
ग्राम–मेन्हदी खेड़ा, मल्लावां
जिला–हरदोई

बालक राम वर्मा अर्चना वर्मा
अमीता वर्मा
रामकली वर्मा राजेन्द्र कुमार सिंह
निर्दोष कुमार

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ